## मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन) खण्ड—2, पंचम तल, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

3599 फ्र. / 22 / वि–12 / ग्रा.स.प्रा / IT / 2020

भोपाल, दिनांक 6/03/2020

प्रति,

महाप्रबंधक (समस्त) / लेखाधिकारी (समस्त) म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई मध्यप्रदेश

विषय:— OMMAS पर Contractor का एकाउण्ट बदलने के संबंध में। संदर्भ:— NRIDA का पत्र क्रमांक NRIDA-G021(17)/7/2016-FA दिनांक 24.09.2019

--- 0 ----

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रानुसार ठेकेदार द्वारा पीआईयू में उसके OMMAS के मौजूदा Bank Account Number बदलने हेतु आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में निम्नाकिंत प्रक्रिया का पालन करेगें :-

- 1. OMMAS में अपना मौजूदा Bank Account Number बदलने हेतु ठेकेदार द्वारा संबंधित पीआईयू में बैंक का नया खाता नंबर, पूर्ण विवरण तथा खाता बदलने का कारण सहित आवेदन करना होगा।
- 2. ठेकेदार द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न सभी आवश्यक दस्तावेजों की जाँच तथा ठेकेदार द्वारा बताए गए कारण से संतुष्ट होने के पश्चात् ही पीआईयू प्रकरण मुख्यालय को अग्रेसित करेंगें।
- 3. मुख्यालय द्वारा प्रकरण की Scrutiny करने के पश्चात् पुराने एकाउण्ट को OMMAS पर ITNO द्वारा उनके Login से Deactivate किया जाएगा तथा नए एकाउण्ट की Entry (Bank Account Number, Bank Name & IFSC) की जाकर इसे Validation हेतु PFMS के लिए अग्रेसित किया जाएगा। PFMS से Account Accepted होने के पश्चात् PIU स्तर पर Payment की प्रक्रिया की जा सकेगी।

## ठेकेदारों के Bank Account Number बदलने हेतु निम्नांकित बिन्दुओं पर ध्यान रखना आवश्यक हैं :--

- पीआईयू द्वारा ठेकेदारों को PMFS के तहत बैंकिग व्यवस्था के बारे में शिक्षित किया जाए। उन्हें यह भी बताया जाए की उनके द्वारा बार-बार Account Number न बदला जाए।
- विशेष परिस्थिति में बैंक खाता परिवर्तन किया जा सकता है जिसके लिए ऊपर दी गई प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए तथा पीआईयू द्वारा सभी आवश्यक दस्तावेजों की जाँच की जाना चाहिए।
- 3. बैंक खाते के विवरण में परिवर्ततन की जिम्मेदारी केवल SRRDA के FC और ITNO के पास होगी इसके पहले पीआईयू द्वारा सभी आवश्यक दस्तावेजों की जाँच की जाएगी।

(एम.पी.चिह. निरंजन) मुख्य महाप्रबंधक (वित्त)

मुख्य महाप्रबंधक (वित्त) म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण भोपाल (म.प्र.) पृ.क्र. 3600 /22/वि-12/ग्रा.स.प्रा/IT/2019

प्रतिलिपि :--

समस्त मुख्य महाप्रबंधक (तक.) भोपाल , इंदौर , ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
वित्तीय सलाहकार / महाप्रबंधक (निविदा), म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, मुख्यालय, भोपाल की

ओर सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य महाप्रबंधक (वित्त) म.प्र. ग्रामीण सङ्क विकास प्राधिकरण भोपाल (म.प्र.)



## शष्ट्रीय ब्रामीण अवसंश्चना विकास दुर्जेसी

( ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार )

National Rural Infrastructure Development Agency (Ministry of Rural Development, Govt. of India)

5th Floor, 15-NBCC Tower, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066

File No. NRRDA-G021(17)/7/2016-FA

Date: 24.09.2019

Subject: Request for change of contractor's existing bank account.

This office has received requests from some SRRDAs to replace/change the contractor's existing bank Account. This issue has been examined and the following procedure for changing the bank account of the contractor has been approved by the competent authority:-

- a. Contractor will request the concerned PIU for change of bank account in writing along with details of the new bank account and reason for the change request.
- b. The PIU, after checking all the necessary documents and being satisfied about the the reason for the change in banks account number will forward the request to the concerned SRRDA.
- c. SRRDA will scrutinize the case and replace the old bank account of the contractor, with the new account number (in OMMAS) and forward the request to PFMS for bank account validation.
- d. PFMS will validate the new account and replace the details duly also deactivating the old bank account.
- e. The newly validated bank account will be forwarded to the SRRDA and ITNO of the SRRDA will approve the bank account through his login, thereafter payment to the contractor can be initiated by the PIU.
- The following points must be kept in view while changing the existing Bank Account of the Contractor:
  - SRRDAs are instructed to educate the contractors regarding revised banking arrangement under PFMS and discourage the practice of frequent change of bank account by the contractors.
  - ii) Under unavoidable circumstances where change of bank account is inevitable, SRRDAs are instructed to follow the due procedure given above for change of bank account of the contractor. All the documentation in this regard will be done by SRRDA in consultation with PIU. However an intimation in this regard may be sent to F&A division of NRIDA.
  - iii) The responsibility for the change in bank account details shall solely lie with the FC and ITNO of the concerned state and as such they must exercise due diligence and verification before undertaking the same.
  - This issue with the approval of competent authority.

Dy. Director(F&A) (Kailash Bisht)

## Copy to:

- 1. The Principal Secretaries/Secretarties/ CEOs/CEs/FCs SRRDA of All states.
- 2. PPS to AS &DG, NRIDA, Krishi Bhwan, New Delhi
- 3. PPS to JS(RC), MoRD, Krishi Bhawan, New Delhi
- 4. Director (P-I/P-II/P-III/Technical), NRIDA, New Delhi

Dy. Director (F&A